

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री ओ.पी.शर्मा.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारंकित प्रश्न संख्या : 289

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|----------|--|---|
| क | क्या दिल्ली सरकार के पास अपना कोई टाउन प्लानिंग विभाग है; | शहरी विकास विभाग(अनधिकृत कालोनी) जी नहीं। लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है। |
| ख | क्या सरकार ने कभी इसकी आवश्यकता महसूस की है; | शहरी विकास विभाग(अनधिकृत कालोनी) जी हां। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन में एवं विकास कार्य हेतु टाउन प्लानर की आवश्यकता महसूस होती है। लोक निर्माण विभाग उपरोक्तानुसार |
| ग | क्या यह सत्य है कि शहरीकृत गांवों, लाल डोरा क्षेत्रों तथा अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए जोनल प्लान बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है; | शहरी विकास विभाग(अनधिकृत कालोनी) पूरी दिल्ली का जोनल प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाती है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शहरीकृत गांवों के प्लान डी.डी.ए. तथा नगर निगमों द्वारा बनाए गए हैं परन्तु जहां प्लान नहीं है वहां राजस्व विभाग से एन.ओ.सी. लेकर नक्शों को स्वीकृत किया जाता है। इसके पश्चात् अनाधिकृत कॉलोनियों का कार्य शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग उपरोक्तानुसार |
| घ | सरकार का कौन-सा विभाग यह दायित्व निभाता है; | शहरी विकास विभाग(अनधिकृत कालोनी) उपरोक्त 'ग' के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ग' अनुसार। लोक निर्माण विभाग उपरोक्तानुसार |
| च | क्या यह सत्य है कि बिना किसी नक्शे और जोनल प्लान के सभी वैध और अवैध गतिविधियां चल रही हैं? | शहरी विकास विभाग(अनधिकृत कालोनी) उपरोक्त 'ग' के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जैसे ही कोई अवैध गतिविधि भवन विभाग के संज्ञान में आती है भवन विभाग डी.एम.सी.एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करता है। लोक निर्माण विभाग उपरोक्तानुसार |


R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Dept. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat